महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की दशवी बैठक दिनांक 29.03.2025 को मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में अपराह्न 12.00 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो0 संजीव कुमार, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, ज्ञान प्रकाश वर्मा, (आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा
03	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, (आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य
05	श्री जगनारायण झा, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

बिन्दु सं0 1–वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 07/02/2025 में लिए गए निणर्यों का सम्पुष्टीकरण।

निर्णयः पिछली बैठक दिनांक 07/02/2025 में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निणर्यो की अधोलिखित के साथ वित्तसमिति के निर्णय दिनांक 07.02.2025 के बिन्दु 02 में लिये गये निर्णय का समिति द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें मा0 कुलपति जी के कार्यालय के संचालन के लिए स्थायी अग्रिम रू0 25000.00 को बढाकर रू0 50000.00 प्रतिमाह कि अधिकतम सीमा किया गया है। इसी क्रम में बिन्दु सं0 08 में लिये गये निर्णय का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, बागवानी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उद्यान को विकसित करने का कार्य किया जाए, सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय/सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं0 2–सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 आय–व्ययक बजट पारित करने के लिए। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः वित्तीय वर्ष 2025–26 आय–व्ययक बजट वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका समिति ने अवलोकन किया सत्र 2025–26 की अनुमानित कुल

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न स्त्रोत से आय धनराशि रू0 1,53,24,03,020.00 के सापेक्ष अनुमानित कुल व्यय धनराशि रू0 1,77,16,53,020.00 सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 3– विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास (पुरूष/महिला) के लिए आवश्यक संसाधन एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु लगभग रू0 352206.00 (15% विचलन के साथ) बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास (पुरूष/महिला) के लिए आवश्यक संसाधन एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु बजट लगभग रू0 352206.00 (15% विचलन के साथ) प्रविधान किया गया।

बिन्दु सं0 4– विश्वविद्यालय परिसर में बैंक की शाखा खोलने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति के निर्णय के क्रम में प्रथम चरण में विश्वविद्यालय परिसर में सिर्फ इण्डियन बैंक कि शाखा खोलने के साथ ही उसका 15 रू0 वर्ग फुट के दर से किराया विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया जायेगा तथा बिजली का बिल प्रतिमाह व्यय बैंक द्वारा अपना सब मीटर लगाते हुए किराये का भुगतान किया जायेगा अथवा बैंक के नाम से पृथक से बिजली कनेक्शन लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने पर 15% किराया कि वृद्धि किया जायेगा एवं प्रत्येक 10 वर्ष पर नए सिरे से समीक्षाकर किराया निर्धारित किया जायेगा। इसके साथ ही समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित फैसेल्टी सेंटर में दो स्थानों पर जनरल स्टोर तथा एक कैन्टीन संचालन हेतु 15 रू0 प्रति वर्गफुट के आधार पर दियें जाने वाले स्थान का किराया निर्धारित करते हुए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर निविदा/कोटेशन आमंत्रित कर अधिक धनराशि वाले व्यक्ति/संस्था को आवंटित किये जाने की संस्तुति किया है। समिति के निर्णय को वित्त समिति ने अवलोकन किया जिसको सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

(जग नारायण झा)	(प्रो0 संजीव कुमार)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव	कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति	वित्त समिति

दिनांक 03/04/25
पत्रावली पृ.सं. 165
पत्रांक 4788/V

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न स्त्रोत से आय धनराशि रू0 1,53,24,03,020.00 के सापेक्ष अनुमानित कुल व्यय धनराशि रू0 1,77,16,53,020.00 सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 3– विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास (पुरूष/महिला) के लिए आवश्यक संसाधन एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु लगभग रू0 352206.00 (15% विचलन के साथ) बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास (पुरूष/महिला) के लिए आवश्यक संसाधन एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु बजट लगभग रू0 352206.00 (15% विचलन के साथ) प्रविधान किया गया।

बिन्दु सं0 4– विश्वविद्यालय परिसर में बैंक की शाखा खोलने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति के निर्णय के क्रम में प्रथम चरण में विश्वविद्यालय परिसर में सिर्फ इण्डियन बैंक कि शाखा खोलने के साथ ही उसका 15 रू0 वर्ग फुट के दर से किराया विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया जायेगा तथा बिजली का बिल प्रतिमाह व्यय बैंक द्वारा अपना सब मीटर लगाते हुए किराये का भुगतान किया जायेगा अथवा बैंक के नाम से पृथक से बिजली कनेक्शन लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने पर 15% किराया कि वृद्वि किया जायेगा एवं प्रत्येक 10 वर्ष पर नए सिरे से समीक्षाकर किराया निर्धारित किया जायेगा। इसके साथ ही समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित फैसेल्टी सेंटर में दो स्थानों पर जनरल स्टोर तथा एक कैन्टीन संचालन हेतु 15 रू0 प्रति वर्गफुट के आधार पर दियें जाने वाले स्थान का किराया निर्धारित करते हुए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर निविदा/कोटेशन आमंत्रित कर अधिक धनराशि वाले व्यक्ति/संस्था को आवंटित किये जाने की संस्तुति किया है। समिति के निर्णय को वित्त समिति ने अवलोकन किया जिसको सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner